राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 07 / 2019

अंतर्गत

अपील संख्या :—1946 / 2002

गोपाल लाल खण्डेलवाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, वृत्त—बीकानेर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.02.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री मुकेश जोशी, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. यह रिव्यू याचिका अपील संख्या 1946 / 2002 में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपील संख्या 1946 / 2002 का निर्णय इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 22.03.2018 के द्वारा किया गया था। जिस रिव्यू याचिका में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ये तथ्य अंकित किये गये है कि अपील का जो जवाब विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसके जवाब के पृष्ठ संख्या 03 पर अंकित पहले पैराग्राफ में Adverse Remark वार्षिक कार्य मूल्यांकन 1975—76, 1987—88, 1988—89, 1989—1990 लिखी गयी है, जबकि 1975—76 की जगह पर 1986—87 अंकित किया जाना चाहिये था, परन्तु सवहन व टाइपिंग गलती से उक्त गलत तथ्य विभाग के जवाब में अंकित हो गये, जिनके आधार पर ही मान्य न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.03.2018 पारित किया गया है, जो कि उपरोक्त आधारों पर विधि एवं कानून के अनुसार तथा अपीलार्थी के रिकार्ड के आधार पर सही प्रकार से पारित नहीं किया गया है। यह भी तथ्य अंकित किये गये हैं कि 27 वर्षीय सेवा दिनांक 02.04.1993 को पूर्ण होती है व पात्रता बनती है, लेकिन पात्रता बनने का इस तिथि से पिछले 7 वर्ष के स्वच्छ रिकार्ड के आधार पर, 3 वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने व चार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण 3+4=7 वर्ष, बाधक माना जायेगा। इस

प्रकार श्री खण्डेलवाल 27 वर्ष के चयनित वेतनमान हेतु 02.04.1993+7= 02.04.2000 को पात्र बनते हैं जबकि ये दिनांक 30.04.1999 को ही सेवानिवृत्ति हो गये हैं। ऐसी स्थिति में 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान के लिए वे पात्रता नहीं रखते हैं। इसी संबंध में भी कार्मिक विभाग के शासन उप–सचिव द्वारा ही टिप्पणी अंकित की गयी है। आदेश में गत 7 वर्ष में 1987–88, 1988–89 व 1989–90 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन असंतोषप्रद माना है, जबकि 1986–87 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन भी असंतोष है। उक्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन तीन वर्ष की असंतोषप्रद नहीं होकर चार वर्ष की है।

2. हमनें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू याचिका में उठाये गये तथ्यों पर विचार किया। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि मूल अपील के जवाब में वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष 1975–76 गलती से अंकित हो गया, जबकि अपीलार्थी के वर्ष 1986–87 का वार्षिक कार्य मूंल्याकन अंकित किया जाना था, जो कि प्रतिकूल था, जिस कारण से अपीलार्थी का 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष और आगे किया जाना था। यदि अपीलार्थी का 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ कार्य मूंल्याकन प्रतिवेदन असंतोषप्रद हो जाने पर चार वर्ष आगे किया जाता है तो अपीलार्थी 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। क्योंकि वह उससे पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुका था। ऐसे में वर्ष 1975–76 के स्थान पर 1986–87 पढा जाए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब में 1975–76 को 1986–87 पढ़ा जाए और इस आधार पर अधिकरण के आदेश का पुनरावलोकन कर अपीलार्थी को देय 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ की हद तक आदेश को निरस्त किया जाए।

3. रिव्यू याचिका प्रत्यर्थी विभाग की ओर से 2019 में प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु अभी तक अपीलार्थी ने रिव्यू याचिका के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी की 1986–87 के कार्य मूंल्याकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी रही हो। ऐसा कोई दस्तावेज मूल अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जारी पत्र दिनांक 14.06.2002 (अनुलग्नक–1) जो अपील के साथ प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी वार्षिक गोपनीय वर्ष 1975–76, 1987–88, 1988–89, 1989–90 में असंतोषप्रद अंकित किया गया था। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग के स्वयं के पत्र के अनुसार भी 1986–87 की गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी होना नहीं आया है। अतः हम पाते

हैं कि प्रत्यर्थी विभाग के जवाब में कोई कमी नहीं थी एवं उक्त जवाब प्रत्यर्थी विभाग के अभिलेख के अनुसार हुआ था। ऐसा कोई नया तथ्य भी प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि पूर्व में प्रत्यर्थी विभाग की जानकारी में नहीं हो, जिसके आधार पर इस अधिकरण के द्वारा पारित निर्णय का पुनरावलोकन किया जाना संभव हो।

4. अतः प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत रिव्यू याचिका में कोई बल नहीं होने से रिव्यू याचिका खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)